गुरुमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (डी वी सहगल न्यायमूर्ति)

डी. वी. सहगल न्यायमूर्ति के समक्ष

गुरमुख सिंह,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड,-प्रतिवादी।

1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 998।

4 अगस्त 1988.

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद . 311(3)-हरियाणा राज्य विद्युत-सिटी बोर्ड कर्मचारी (दंड और अपील) नियम, 1980- नियम। 8, 9, 10, 11, 12 और 13(ii)-भ्रष्टाचार और कदाचार के लिए किसी कर्मचारी को सेवा से हटाना, बोर्ड द्वारा नियमित जांच कराने की प्रक्रिया, यह निष्कर्ष निकालते हुए कि जांच कराना उचित नहीं है, बोर्ड ने अनुमति दे दी- आधार कि जांच लंबी खिंच सकती है और प्रत्यक्ष साक्ष्य की अनुपलब्धता हो सकती है - ऐसी आशंका - क्या जांच नहीं करने के लिए कर्मचारी - क्या सुनवाई का अधिकार है - हटाने का आदेश - क्या बुरा है,

माना गया कि यह बोर्ड का काम है कि वह अपना घर व्यवस्थित करे। केवल इसलिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ इसके द्वारा आदेशित विभागीय जांच में देरी हो जाती है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (दंड और अपील) विनियम 1980 के विनियम 8 से 12 द्वारा प्रदान की गई उचित अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का आधार नहीं होगा। बोर्ड को ऐसे व्यक्ति को जांच अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अपनी ईमानदारी और कार्यकुशलता के लिए जाने जाते हों। जब ऐसा किया जाता है तो जांच में तेजी लाई जा सकती है और अपराधी और भ्रष्ट अधिकारी सजा से बचने का रास्ता नहीं निकाल सकते। यह निर्णय कि ऐसे भ्रष्ट अपराधी अधिकारियों से सख्ती से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए और उन्हें अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सराहनीय है, लेकिन यह कल्पना की कोई सीमा नहीं है, एक ऐसा कारक हो सकता है जो दंड देने वाले अधिकार को खत्म करने के लिए दबाव डाल सकता है। दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की निर्धारित प्रक्रिया। हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है. किसी नागरिक पर नागरिक प्रभाव डालने वाले प्रत्येक अर्ध-न्यायिक आदेश को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना होता है। भ्रष्टाचार और अनाचार को मिटाने का संकल्प अटल और अटल है। यह एक प्रशासक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक होना चाहिए लेकिन तात्कालिकता कानून के शासन पर हावी नहीं हो सकती। इस आशंका से इनकार करने का कोई आधार नहीं है कि जांच लंबी खिंच सकती है जांच के लिए विनियम द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया।

(पैरा 9 और 11

माना गया कि केवल यह तथ्य कि साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य होंगे और जांच प्राधिकारी को आश्वस्त करने में विफल हो सकते हैं, जांच की प्रक्रिया को खत्म करने का कारण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह विनियमन 13 के खंड (ii) के लिए एक कारक नहीं है।

(पैरा 10)

माना गया कि कारणों की प्रासंगिकता की जांच करते समय, अदालत उस स्थिति पर विचार करेगी, जो अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि जांच कराना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। यदि अदालत को लगता है कि कारण अप्रासंगिक हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसकी संतुष्टि की रिकॉर्डिंग खंड (बी) द्वारा उसे प्रदान की गई शक्ति का दुरुपयोग होगी और मामले को उस खंड के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। दंड का आक्षेपित आदेश अमान्य हो जाएगा।

(पैरा 11)

भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत सिविल रिट याचिका में प्रार्थना की गई है कि:-

(i) मामले का पूरा रिकॉर्ड तलब किया जाए;
(ii) एक उचित रिट, आदेश या निर्देश जिसमें आदेश दिनांक 24 फरवरी 1985, अनुबंध पी/1, और अपीलीय प्राधिकारी का आदेश दिनांक 29 जनवरी, 1986, अनुबंध पी/2 को रद्द कर दिया जाए, जिसमें याचिकाकर्ता को बिना सहायक अभियंता के पद से हटा दिया जाए। कोई भी पूछताछ करने पर जारी किया जाएगा:
(iii) यह माननीय न्यायालय मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त समझी जाने वाली कोई अन्य राहत भी दे सकता है;
(iv) याचिकाकर्ता की लागत भी प्रदान की जाएगी;
(v) रिट याचिका की अग्रिम सूचना की सेवा से संबंधित शर्त को समाप्त किया जाए;
(vi) अनुलग्नकों की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने से संबंधित शर्त को समाप्त किया जाए।

परमजीत सिंह पटवालीया अधिवक्ता, याचिकाकर्ता के लिए

प्रतिवादी की ओर से एस. पी. एस. चौहान, वकील।

निर्णय

गुरुमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (डी वी सहगल न्यायमूर्ति)

डी. वी. सहगल, न्यायमूर्ति

. यह निर्णय 1986 की सिविल रिट याचिका संख्या 998, 4738, 4739 और 5454 का निपटान करेगा क्योंकि इसमें कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न शामिल हैं। हालाँकि, तथ्यों और दस्तावेजों का संदर्भ जब तक कि अन्यथा विशेष रूप से उल्लेख न किया गया हो, सी.डब्ल्यू.पी. 1986 की संख्या 998 से किया जाएगा।

(2) श्री गुरमुख सिंह याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 998/1986-प्रतिवादी हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड में सहायक अभियंता के पद पर कार्यरत था। सर्वश्री रण सिंह, टी.एस. राणा और अनिल कुमार याचिकाकर्ता सी.डब्ल्यू.पी. 1986 के क्रम संख्या 4738, 4739 और 5454 प्रतिवादी के रोजगार में उनके अधीन जूनियर इंजीनियर के रूप में कार्यरत थे। श्री गुरमुख सिंह याचिकाकर्ता वर्ष 1956 में लाइनमैन ग्रेड । के रूप में सेवा में शामिल हुए। पदोन्नति की सीढ़ी चढ़ते हुए उन्हें 15 दिसंबर, 1978 को एक सहायक अभियंता के रूप में नियुक्त किया गया और वे प्रतिवादी की सेवा में तब तक काम कर रहे थे, जब तक कि उन्हें सेवा से हटाते हुए आदेश दिनांक 24 फरवरी, 1985 अनुलग्नक पी/1 पारित किया गया। इसी आदेश पर याचिकाकर्ता ने आपत्ति जताई है। संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं को हटाने के समान आदेश उसी तारीख को प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा पारित किए गए थे। (3) वर्ष 1974 में, प्रतिवादी ने पिंजौर-पंचकूला ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण किया। जुर्माने में 80 टावर शामिल थे। याचिकाकर्ता एक चौथाई कार्य का प्रभारी था। शेष उप-विभागीय अधिकारियों, यमुनानगर, पानीपत और अम्बाला को सौंपा गया था। संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता इस कार्य पर कनिष्ठ अभियंता थे। याचिकाकर्ता को 30 जनवरी, 1985 को निलंबित कर दिया गया था लेकिन उसे कोई आरोप पत्र नहीं दिया गया था। प्रतिवादी के कर्मचारियों पर विभागीय जांच और अंतिम सजा की प्रक्रिया हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड कर्मचारी (दंड और अपील) विनियम, 1980 (संक्षेप में 'विनियम') में निर्धारित की गई है। विनियम 8. 9, 10, 11 और 12 में दोषी अधिकारी पर आरोप पत्र तामील करने, उसका जवाब देने, जांच अधिकारी की नियुक्ति करने, जांच करने, दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी करने और अंतिम सजा देने का प्रावधान है। विनियम 13 इस प्रकार बताता है:- "13. विनियम 8, 9, 10, 11 और 12 में किसी बात के होते हुए भी:- (i) जहां किसी कर्मचारी पर आचरण के आधार पर जुर्माना लगाया जाता है जिसके कारण उसे दोषी ठहराया गया है एक आपराधिक आरोप; या (ii) जहां दंड देने वाला प्राधिकारी कारणों से संतुष्ट है लिखित में दर्ज किया जाए कि यह उचित नहीं है में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना व्यावहारिक है कहा नियम; या (iii) जहां बोर्ड संतुष्ट है कि राज्य की सुरक्षा के हित में, ऐसी प्रक्रिया का पालन करना समीचीन नहीं है; दंड प्राधिकारी परिस्थितियों पर विचार कर सकता है। मामले की जांच करें और उस पर ऐसे आदेश पारित करें जो वह उचित समझे।"

(4) प्रतिवादी ने जांच किए बिना या याचिकाकर्ता को लगाए गए आरोपों के खिलाफ खुद का बचाव करने का अवसर दिए बिना, आक्षेपित आदेश अनुबंध पी/1 के माध्यम से सेवा से हटा दिया गया। विनियम 13 के खंड (ii) के तहत शक्ति के कथित प्रयोग में जांच को रद्द कर दिया गया था। याचिकाकर्ता ने आदेश अनुलग्नक

पी/1 को मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया है कि जांच को प्रतिवादी द्वारा उन आधारों पर खारिज कर दिया गया था जो हैं पूरी तरह से अप्रासंगिक और विनियम 13 के खंड (ii) के लिए अप्रासंगिक।

(5) याचिका का प्रतिवादी द्वारा विरोध किया गया है और उसकी ओर से एक लिखित बयान दायर किया गया है। यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करते समय प्रतिवादी संतुष्ट महसूस कर रहा था कि याचिकाकर्ता ने उसके खिलाफ सबूत मिटा दिए हैं और अपनी ओर से अनियमितताओं/कदाचार का कोई निशान या सबूत नहीं छोड़ा है। ऐसी स्थिति निर्मित हो गई थी जब पूछताछ में महत्वपूर्ण और भौतिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं होंगे। इसके अलावा, जो जूनियर इंजीनियर संबंधित रिट याचिकाओं में याचिकाकर्ता हैं, वे याचिकाकर्ता के सहकर्मी थे और काम में सीधे तौर पर जिम्मेदार और चिंतित थे। उनके साक्ष्य महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण थे। यदि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच की गई होती, लेकिन वे उसके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे नहीं आते क्योंकि वे खुद अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे थे, जिसकी परिणति उन्हें सेवा से हटाने के रूप में हुई। कोई परिधीय नहीं. याचिकाकर्ता की खराबी के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध थे। इसलिए विस्तृत कारण बताकर दंड प्राधिकारी ने अपनी संतुष्टि दर्ज की कि याचिकाकर्ता के खिलाफ जांच करने के लिए विनियम 8 से 12 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। इस प्रकार याचिकाकर्ता को सेवा से हटाने के विवादित आदेश का बचाव किया गया है।

(6) मैंने पार्टियों के विद्वान वकील को सुना है। यह है विवादित आदेश अनुलग्नक की सामग्री का संदर्भ लेना शिक्षाप्रद है पी/1.. इसमें अन्य बातों के साथ-साथ कहा गया है कि याचिकाकर्ता पर्यवेक्षक था इंजीनियर और 66 केवी पिंजौर-पंचकूला ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार, जो इस तथ्य के कारण बार-बार प्रयासों के बावजूद लोड नहीं ले सका कि टावरों के निर्माण में बड़ी गड़बड़ी हुई थी और अधिकांश विशिष्टताओं और मापदंडों का पालन नहीं किया गया था। इस लाइन को खड़ा करते समय उनके द्वारा. संरचनात्मक दोषों के अलावा याचिकाकर्ता की ओर से गंभीर कदाचार थे, जिससे प्रतिवादी और राज्य सरकार को भारी वित्तीय हानि और शर्मिंदगी हुई। इस लाइन के निर्माण के दौरान, जनवरी, 1985 में टावर नंबर 45 और दिसंबर, 1984 में किसी समय टावर नंबर 68 ढह गया। बाद के टावर के गिरने की घटना को याचिकाकर्ता ने दबा दिया था। इसके स्थान पर गुप्त रूप से एक नया टॉवर खड़ा करके इसके ढहने से संबंधित सभी सबूत मिटा दिए गए। इसमें आगे कहा गया है कि बोर्ड इस बात से संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता की ओर से पर्यवेक्षण और संतुष्टि की पूरी कमी रही है और गिरे हुए टावरों के निर्माण में बहुत गड़बड़ी हुई है। उपरोक्त टावरों के सामान्य निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियाँ पाई गईं, जिससे लाइन के ऊर्जाकरण में देरी हुई क्योंकि बार-बार के प्रयासों के बावजूद यह उचित लोड लेने में विफल रही।

(7) आक्षेपित आदेश में आगे कहा गया है कि प्रतिवादी ने पहले सामग्री पर पूर्ण विचार करने के बाद महसूस किया था कि अधिकारी/कर्मचारियों के खिलाफ लंबी विभागीय जांच, जो गिरे हुए टावरों के लिए सीधे जिम्मेदार थे, प्रतिकूल साबित हो सकती है और हो सकती है प्रतिवादी के कार्यालय में भ्रष्टाचार उन्मूलन के उद्देश्य को अपूरणीय और अपूरणीय क्षति पहुंचाने के अलावा, जिस उद्देश्य के लिए पूछताछ की जाती है, उसे विफल कर दें। यह उक्त उद्देश्य के विपरीत कार्य कर सकता है। अन्यथा भी, नियमित तथ्यान्वेषी जांच

करना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं हो सकता है क्योंकि गिरे हुए टॉवर के स्थान पर एक टॉवर पहले ही खड़ा किया जा चुका था और ऐसे में जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने इसमें गड़बड़ी की थी, उन्हें पकड़ने के लिए व्यावहारिक रूप से कोई प्रत्यक्ष सबूत उपलब्ध नहीं है। मामला। गिरे हुए टावर नंबर 68 के मामले को दबा दिया गया और इस तरह इसे साबित करने वाले लगभग सभी सबूत नष्ट हो गए। जो अधिकारी/कर्मचारी इस तरह की गड़बड़ियों से प्रतिवादी का नाम खराब करने और उसे वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनसे सख्ती से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए और उन्हें अनुकरणीय दंड दिए जाने की आवश्यकता है ताकि वे अन्य कर्मचारियों की आंखें खोल सकें। उनकी श्रेणी और ट्रांसमिशन के निर्माण के मामले में भ्रष्टाचार को खत्म करना- सायन रेखाएँ कृषि और उद्योग के लिए जीवन रेखा हैं राज्य के साथ-साथ अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ।

(8) आक्षेपित आदेश में यह भी कहा गया है कि पिछला अनुभव इससे पता चलता है कि कभी-कभी विभागीय जांच की प्रक्रिया लंबी खिंच जाती है वर्षों लग जाते हैं और इस बीच ऐसे अपराधी अधिकारी/कर्मचारी सजा से बचने का रास्ता निकाल लेते हैं। उपर्युक्त कारणों से बोर्ड संतुष्ट है कि याचिकाकर्ता के मामले में नियमित विभागीय जांच आयोजित करने की नियमित प्रक्रिया का पालन करना उचित नहीं था। यह भी राय दी गई कि याचिकाकर्ता पर लागू विनियमों के तहत प्रक्रिया अपनाना सार्वजनिक हित में समीचीन नहीं होगा। इसलिए, विनियम 13 और संबद्ध सेवा नियमों के तहत प्रतिवादी नंबर 1 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उसमें निर्धारित प्रक्रिया से छूट देने का निर्णय लिया गया और सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने पर इसे एक उपयुक्त मामला माना गया जहां याचिकाकर्ता को बोर्ड की सेवा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को तत्काल प्रभाव से सेवा से हटाने का आदेश दिया गया।

(9) नियमित जांच करने की प्रक्रिया से छूट देने और याचिकाकर्ता को खुद का बचाव करने का अवसर देने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 के साथ जिन कारकों का महत्व था, उनका विभाजन इस प्रकार किया जा सकता है:

(i) दो टावर यानी टावर नंबर 44 और 68, जिनका निर्माण याचिकाकर्ता की देखरेख में किया गया था, ढह गए थे।
(ii) इन दो टावरों में से, टावर नंबर 68 को याचिकाकर्ता द्वारा गुप्त रूप से खड़ा किया गया था, इस प्रकार, गिरे हुए टावर के सबूत नष्ट हो गए।
(iii) संरचनात्मक दोषों के कारण दो टावर ढह गए थे। प्रतिवादी इस बात से संतुष्ट था कि याचिकाकर्ता की ओर से पर्यवेक्षण और शालीनता की कमी थी और गिरे हुए टॉवर के निर्माण में बहुत गड़बड़ी हुई थी। याचिकाकर्ता द्वारा गंभीर कदाचार में लिप्त होने के कारण प्रतिवादी और राज्य सरकार को भारी वित्तीय हानि और शर्मिंदगी उठानी पड़ी। उपरोक्त टावरों के सामान्य निर्माण में गंभीर तकनीकी खामियाँ पाई गईं जिससे इसके ऊर्जाकरण में देरी हुई क्योंकि बार-बार के प्रयासों के बावजूद यह उचित भार लेने में विफल रहा।
(iv) याचिकाकर्ता, जो गिरे हुए टावरों के लिए सीधे जिम्मेदार है, के खिलाफ लंबे समय तक चलने वाली विभागीय जांच अप्रभावी साबित हो सकती है और कारण के अलावा उस उद्देश्य को विफल कर सकती है

जिसके लिए ऐसी पूछताछ की जाती है। प्रतिवादी के कार्यालय में भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए अपूरणीय क्षति हो सकती है और इसके बजाय कार्रवाई की जा सकती है। उक्त उद्देश्य के विपरीत।

(v) चूंकि गिरे हुए दो टावरों में से एक टावर पहले ही खड़ा किया जा चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता और गड़बड़ी करने वाले अन्य दोषी अधिकारियों को पकड़ने के लिए प्रत्यक्ष सबूत व्यावहारिक रूप से उपलब्ध नहीं है।

(vi) याचिकाकर्ता और अन्य अधिकारी जो इस तरह की गड़बड़ी से बोर्ड को बदनाम करने और उसे वित्तीय नुकसान पहुंचाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं, उनसे सख्ती से और शीघ्रता से निपटने की जरूरत है और उन्हें अनुकरणीय सजा देने की जरूरत है। अन्य भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारियों के लिए आंखें खोलने वाला।

(vii) पिछले अनुभव से पता चलता है कि विभागीय जांच की लंबी प्रक्रिया में कभी-कभी वर्षों लग जाते हैं और इस बीच ऐसे अपराधी और भ्रष्ट अधिकारी/कर्मचारी सजा से बचने का अपना रास्ता बना लेते हैं।

उपर्युक्त कारणों में से आक्षेपित आदेश में उल्लेख किया गया है (i), (ii) और (iii) में निहित कारण केवल याचिकाकर्ता के कदाचार का गठन और विस्तार करते हैं, मेरे विचार में (iv), (vi) और (vii) में दिए गए कारण पूरी तरह से अप्रासंगिक हैं और नहीं विनियमों के विनियम 13 के खंड (ii) के अनुरूप। यह प्रतिवादी का काम है कि वह अपना घर व्यवस्थित करे। केवल इसलिए कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ उसके द्वारा आदेशित विभागीय जांच में देरी हो जाती है, विनियम 8 से 12 द्वारा प्रदान की गई उचित अवसर प्रदान करने की प्रक्रिया को समाप्त करने का आधार नहीं होगा। प्रतिवादी को ऐसे व्यक्ति को जांच अधिकारी के रूप में नियुक्त करना चाहिए जो अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं और क्षमता। जब ऐसा किया जाता है तो जांच में तेजी लाई जा सकती है और अपराधी और भ्रष्ट अधिकारी "सज़ा से बचने के लिए अपना रास्ता नहीं बना सकते।" यह दृढ़ संकल्प है कि ऐसे भ्रष्ट अपराधी अधिकारियों से सख्ती से और शीघ्रता से निपटा जाना चाहिए और अनुकरणीय दंड दिया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सराहनीय है, लेकिन यह किसी भी तरह से एक ऐसा कारक हो सकता है, जो दंड देने वाले प्राधिकारी को दोषी अधिकारियों के खिलाफ जांच करने की निर्धारित प्रक्रिया को खत्म करने पर मजबूर कर सकता है। हमारी व्यवस्था लोकतांत्रिक है. किसी नागरिक पर नागरिक प्रभाव डालने वाले प्रत्येक अर्ध-न्यायिक आदेश को प्राकृतिक न्याय के नियमों का पालन करना होता है। मिटाने का संकल्प भ्रष्टाचार और अनाचार अपरिहार्य और अपवादनीय है। यह एक प्रशासक के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक होना चाहिए लेकिन समीचीनता कानून के शासन पर हावी नहीं हो सकती।

(10) इस प्रकार हमारे पास केवल ग्राउंड नंबर (v) ही बचा है। दो टावर ढह गए थे. जैसा कि याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था, एक को दोबारा खड़ा कर दिया गया था लेकिन दूसरे गिरे हुए टावर के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध हैं। यह गिरे हुए टावरों के घटकों की तकनीकी जांच और उचित विश्लेषण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है कि क्या इसे विनिर्देश और डिजाइन के अनुसार खड़ा किया गया था या नहीं, क्या उपयोग की गई सामग्री घटिया थी; क्या इसके निर्माण और उचित समापन के दौरान उचित इंजीनियरिंग तरीकों को नहीं अपनाया गया था। दूसरे गिरे हुए टावर को 'गुप्त रूप से' फिर से खड़ा करना अपने आप में कदाचार का

आधार बनेगा। प्रतिवादी इसके दोबारा खड़े होने और याचिकाकर्ता और इन द्वारा गिरे हुए टावर के सबूतों के निशानों को मिटाने के संबंध में सबूत पेश कर सकता है। कारक जांच प्राधिकारी को प्रभावित कर सकते हैं। केवल तथ्य यह है कि साक्ष्य प्रत्यक्ष नहीं बल्कि परिस्थितिजन्य होगा और जांच प्राधिकारी को आश्वस्त करने में विफल हो सकता है, जांच की प्रक्रिया को खत्म करने का कारण नहीं होना चाहिए। इस प्रकार यह नहीं है विनियम 13 के खंड (ii) से संबंधित एक कारक। ऐसे मामले असामान्य नहीं हैं जहां वरिष्ठ अभियंता और उनके अधीन काम करने वालों पर संयुक्त रूप से घटिया काम करने के कदाचार का आरोप लगाया जाता है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता है क्योंकि वे महत्वपूर्ण होते हैं। एक-दूसरे के खिलाफ गवाह और एक-दूसरे के खिलाफ गवाही न देने की संभावना, अनुशासनात्मक प्राधिकारी उन सभी को "निष्कासित" करने में असमर्थ है। काम पर हमेशा उनके अधीनस्थ अन्य लोग होते हैं और उनसे वरिष्ठ अधिकारी भी होते हैं जो काम का निरीक्षण करते हैं समय - समय पर। उन्हें दोषी अधिकारियों के खिलाफ गवाह के रूप में पेश किया जा सकता है।

(11) भारत संघ और अन्य बनाम तुलसीराम पटेल,[1] (1), 1985 में, अंतिम न्यायालय ने माना है कि एक अनुशासनात्मक प्राधिकारी से यह उम्मीद नहीं की जाती है कि वह अनुशासनात्मक जांच को हल्के में या मनमाने ढंग से या गुप्त उद्देश्यों के लिए या केवल क्रम में समाप्त कर देगा। जांच से बचने के लिए या क्योंकि सरकारी कर्मचारी के खिलाफ विभागीय मामला कमजोर है और विफल होना चाहिए। जहां तक न्यायिक समीक्षा की उसकी शक्ति का सवाल है, अनुच्छेद 311 (3) द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी के निर्णय को दी गई अंतिम अंतिमता न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है और ऐसे मामले में न्यायालय जांच से छूट देने वाले आदेश को रद्द कर देगा। जुर्माना लगाने का भी आदेश. न्यायालय उन मामलों में न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग के लिए कानून में अच्छी तरह से स्थापित आधार पर हस्तक्षेप करेगा जहां प्रशासनिक विवेक लागू है- सिज़्ड. यह विचार करेगा कि क्या खंड (बी) या एक समान प्रावधान है सेवा में नियमावली ठीक से लागू की गई या नहीं। अंतिम रूप दे दिया गया । खंड (3) या अनुच्छेद 311 द्वारा अनुशासनात्मक प्राधिकारी का यह निर्णय कि जांच कराना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं है, न्यायालय पर बाध्यकारी नहीं है। अदालत रिट याचिका में लगाए गए दुर्भावना के आरोप की भी जांच करेगी। कारणों की प्रासंगिकता की जांच करते समय, न्यायालय उस स्थिति पर विचार करेगा, जिसने अनुशासनात्मक प्राधिकारी के अनुसार इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि जांच कराना उचित रूप से व्यावहारिक नहीं था। यदि न्यायालय को लगता है कि कारण अप्रासंगिक हैं, तो अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा उसकी संतुष्टि की रिकॉर्डिंग खंड (बी) द्वारा प्रदत्त शक्ति का दुरुपयोग होगी और मामले को उस खंड और आक्षेपित आदेश के दायरे से बाहर कर दिया जाएगा। जुर्माना अमान्य माना जाएगा।

(12) प्रतिवादी के वकील के प्रति पूरी निष्पक्षता में, यह बताया जा सकता है कि उन्होंने सत्यवीर सिंह और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा करने की कोशिश की,[2] इस बात की संतुष्टि

---

[1] 1985 (2) एस.एल.आर. 576

[2] ए.आई.आर. 1986 एस.सी. 555.

के लिए कि की अनुपलब्धता दोषी अधिकारियों के खिलाफ आरोप स्थापित करने के लिए जांच प्राधिकारी के समक्ष गवाहों को पेश करने में उचित कठिनाइयों पर विनियमन 13 के खंड (ii) के तहत अपनी संतुष्टि पर पहुंचने के दौरान अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विचार करने के लिए एक प्रासंगिक आधार है। मैं इस तर्क से सहमत नहीं हूं. सत्यवीर सिंह के मामले (सुप्रा) में तथ्य बिल्कुल अलग थे। वहां कर्मचारी हिंसक हो गये थे. उन्होंने अपने अधिकारियों पर अधिक दबाव डालने और उन्हें डराने-धमकाने की कोशिश की। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया। ऐसा महसूस किया गया कि चूंकि स्टाफ के सदस्य हिंसा में शामिल थे, इसलिए उनके द्वारा बनाई गई स्थिति और परिणामी कदाचार के लिए उनमें से किसी के भी गवाही देने की संभावना नहीं थी। पुलिस और अर्धसैनिक बलों के गवाह गवाही दे सकते हैं लेकिन जब मामला अदालत के सामने आएगा तो उनकी गवाही को साक्ष्य की कमज़ोर शांति माना जा सकता है। वर्तमान मामले में टावरों का गैर-इंजीनियरिंग निर्माण, विनिर्देशों के अनुरूप न होना। टावरों के निर्माण के लिए जिम्मेदार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा घटिया सामग्री के उपयोग और भ्रष्ट आचरण की जांच की जानी चाहिए। जैसा कि मैंने पहले ही ऊपर बताया है, कदाचार के इन आरोपों को साबित करने के लिए प्रतिवादी द्वारा बहुत अच्छे सबूत पेश किए जा सकते हैं। इसकी यह आशंका कि जांच लंबी खिंच सकती है, जांच के लिए विनियमों द्वारा प्रदान की गई प्रक्रिया से दूर रहने का कोई आधार नहीं है।

(13) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, मैं इन याचिकाओं को अनुमति देता हूं, 24 फरवरी, 1985 को हटाए गए आक्षेपित आदेशों को रद्द करें याचिकाकर्ताओं को सेवा से हटा दिया गया है। वे सेवा में बहाली के हकदार हैं।उत्तरदाताओं को वेतन का भुगतान करना होगा और अन्य सभी लाभ भी देने होंगे जिनके लिए याचिकाकर्ता हमेशा सेवा में रहने पर हकदार हैं। उत्तरदाताओं को उन्हें ब्याज भी देना होगा। वेतन के बकाया पर, जो देय हो गया है, प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से। उत्तरदाताओं को दो महीने के भीतर इस निर्देश का पालन करना होगा। इनमें से प्रत्येक याचिका में याचिकाकर्ता इसकी लागत के हकदार हैं जिसका मूल्यांकन रु 5,000. है

(14) यह स्पष्ट किया जाता है कि प्रतिवादी को विनियम 8 से 12 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके विवादित आदेश में निहित कदाचार के आरोपों के आधार पर याचिकाकर्ताओं के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने का अधिकार होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

गुरुमुख सिंह बनाम हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड (डी वी सहगल न्यायमूर्ति)

तुषार शर्मा
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
कैथल
हरियाणा